NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 22-07-2026

विषय सूची

लद्दाख में भारत के प्रथम और सबसे गहरे भू-तापीय कुओं का लोकार्पण

दलबदल से लोकतंत्र की नैतिक पवित्रता पर प्रभाव

भारत और मोल्दोवा के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधारों पर चर्चा

भारत और स्पेन के बीच यूपीआई–बिजुम अंतरसंचालनीयता पर वार्ता आगे बढ़ी

मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता

छत्तीसगढ़ में नदी संरक्षण के उपाय: एक अध्ययन

संक्षिप्त समाचार

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

बलूचिस्तान

ओलिम्पस पर्वत

ऑपरेशन वज्र

नमस्ते योजना

चुंबकीय उत्तोलन (Magnetic Levitation)

लद्दाख में भारत के प्रथम और सबसे गहरे भू-तापीय कुओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- भारत ने **लद्दाख की पुगा घाटी** में अपने प्रथम और सबसे गहरे भू-तापीय कुओं का लोकार्पण किया है। यह देश के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भू-तापीय ऊर्जा

- यह **पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग करके उत्पन्न की जाने वाली ऊष्मा एवं विद्युत ऊर्जा** है।
- यह इसलिए उपलब्ध होती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ **पृथ्वी का तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है।** जहाँ भू-तापीय प्रवणता (Geothermal Gradient) अधिक होती है, वहाँ कम गहराई पर ही उच्च तापमान प्राप्त हो जाता है।

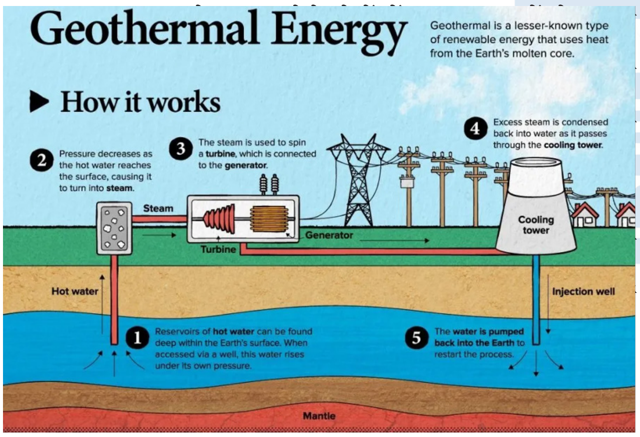

लाभ

- **पर्यावरण-अनुकूल**: भू-तापीय ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है तथा इसका कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) अत्यंत कम होता है।
- **विश्वसनीय नवीकरणीय स्रोत**: यह निरंतर उपलब्ध रहने वाला तथा विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
- **उच्च दक्षता**: भू-तापीय प्रणालियाँ ऊर्जा का अत्यधिक दक्षता के साथ रूपांतरण करती हैं।
- **लचीला डिजाइन**: भू-तापीय संयंत्रों का डिजाइन विभिन्न स्थलों की परिस्थितियों के अनुरूप किया जा सकता है।
- **कम रखरखाव लागत**: सामान्यतः इन प्रणालियों के रखरखाव की आवश्यकता बहुत कम होती है।
- **ऊष्मा का भंडारण**: पंप ऊष्मा का भंडारण कर बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक लचीलापन प्राप्त होता है।

भू-तापीय ऊर्जा की समस्याएँ

- **हरितगृह गैसों का उत्सर्जन**: निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ हरितगृह गैसों का उत्सर्जन होता है।
- **संसाधनों का क्षय**: समय के साथ भू-तापीय संसाधनों का क्षय हो सकता है।
- **निष्कर्षण स्थल का ठंडा होना**: लंबे समय तक उपयोग के बाद निष्कर्षण स्थल का तापमान कम हो सकता है।
- **प्रौद्योगिकीय चुनौतियाँ**: ऊष्मा के स्रोत के रूप में मैग्मा का उपयोग करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।
- **उच्च प्रारंभिक पूंजीगत लागत**: भू-तापीय संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रारंभिक निवेश काफी अधिक होता है।
- **जल प्रदूषण**: कुछ संयंत्रों में बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है तथा वे जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं।
- **ज्वालामुखीय गतिविधियों के निकटता**: भू-तापीय स्रोत प्रायः ज्वालामुखीय क्षेत्रों के निकट पाए जाते हैं, जिससे संयंत्रों के संचालन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **भंडारों की पहचान कठिन**: भू-तापीय भंडारों का पता लगाना कठिन होता है। साथ ही, बड़े शहरों में भू-तापीय प्रणालियों का कार्यान्वयन भी चुनौतीपूर्ण होता है।

भारत में संभावनाएँ

- भारत में **35°C से 89°C तापमान वाले 381 चिन्हित उष्ण जलस्रोत (Hot Springs) हैं, जिनमें पर्याप्त भू-तापीय ऊर्जा की क्षमता** विद्यमान है।
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** ने देश की भू-तापीय ऊर्जा क्षमता का अनुमान 10.6 गीगावाट (GW) लगाया है, जो 10 भू-तापीय प्रांतों में वितरित है।
- इनमें **हिमालयी भू-तापीय प्रांत, कैंबे ग्रैबेन (Cambay Graben) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** प्रमुख हैं।

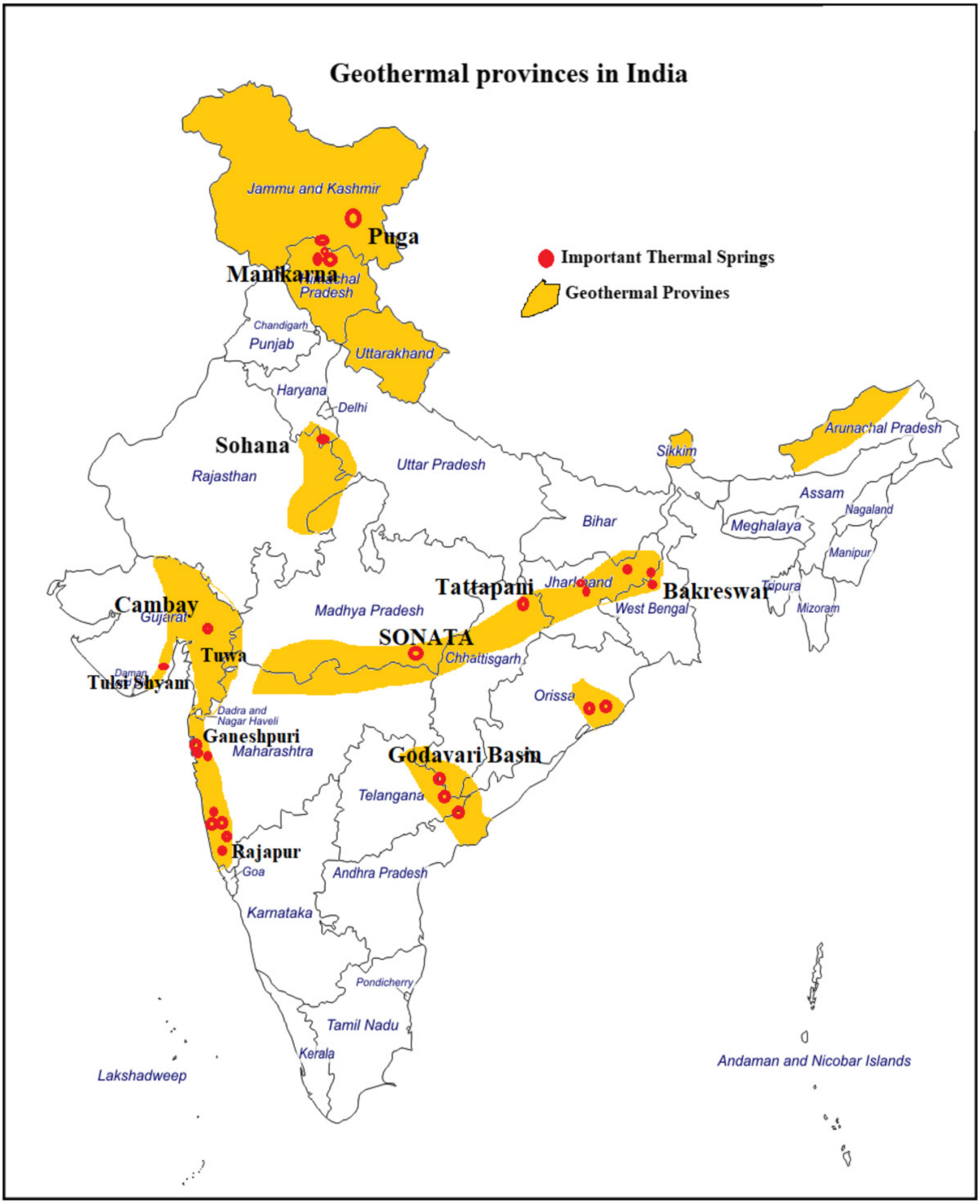

- वर्तमान में वैश्विक भू-तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता अभी भी **17 गीगावाट (GW) से कम** है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस अग्रणी हैं।
- अनुमान है कि भारत का भू-तापीय ऊर्जा बाज़ार वर्ष 2035 तक 4.2 गीगावाट तथा 2045 तक लगभग 100 गीगावाट तक पहुँच जाएगा।
- लद्दाख में ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र (ONGC Energy Centre) ने भारत की प्रथम 1 मेगावाट (MW) प्रायोगिक भू-तापीय विद्युत परियोजना के समर्थन हेतु 1,000-1,000 मीटर गहरे दो कुओं का विकास किया है।

सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** (MNRE) ने अप्रयुक्त भू-तापीय ऊर्जा संसाधनों के अन्वेषण एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए **राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति, 2025** जारी की है।
- इस नीति का **उद्देश्य** भू-तापीय ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में स्थापित करना, **वर्ष 2070 के शुद्ध-शून्य (Net Zero) लक्ष्य** के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थानों को **100% वित्तीय सहायता** तथा उद्योगों, नवप्रवर्तक उद्यमों (स्टार्टअप) आदि को 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- भारत–अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्य मंच (Renewable Energy Technology Action Platform) की स्थापना।

सुझाव

- निजी विकासकर्ताओं द्वारा **प्रारंभिक चरण की ड्रिलिंग में विफलता के जोखिम को कम करने के लिए सरकारी समर्थन प्राप्त अन्वेषण जोखिम निधि** (Exploratory Risk Fund) की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।
- प्राकृतिक जलभृतों (Aquifers) से बाहर स्थित गहरी गर्म एवं शुष्क शैल प्रणालियों तक पहुँचने के लिए उन्नत भू-तापीय प्रणालियों (EGS) तथा बंद-परिपथ (Closed Loop) प्रौद्योगिकियों में निवेश की आवश्यकता है।
- **गहरे हिमालयी ग्रेनाइट तथा जटिल रूपांतरित शैल संरचनाओं** में ड्रिलिंग के लिए उच्च तापमान सहन करने वाले कठोर-शैल ड्रिलिंग रिग विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
- अत्यधिक जलवायु वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त तापीय अनुप्रयोगों, जैसे जिला स्तर पर ताप व्यवस्था (District Space Heating) तथा कोल्डचेन अवसंरचना, को तेज़ी से विकसित करने की आवश्यकता है।

स्रोत :IE

दलबदल से लोकतंत्र की नैतिक पवित्रता पर प्रभाव

संदर्भ

- भारतीय राजनीति में चुनाव के बाद बार-बार होने वाले दलबदल तथा राजनीतिक दलों के पुनर्सरेखण ने लोकतांत्रिक नैतिकता, मतदाताओं के विश्वास तथा जनादेश की पवित्रता के क्षरण को लेकर चिंताओं को पुनः बढ़ा दिया है।

राजनीतिक दलबदल क्या है?

- राजनीतिक दलबदल से तात्पर्य किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा एक राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने से है।
- **1960 और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में** संसद तथा राज्य विधानमंडलों में दलबदल की घटनाएँ इतनी अधिक हो गई थीं कि इसके लिए **"आया राम, गया राम" शब्द** प्रचलित हुआ।

दलबदल लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है?

- **जनादेश का उल्लंघन**: मतदाता किसी प्रत्याशी का चयन उसके राजनीतिक दल की विचारधारा, घोषणा-पत्र तथा नेतृत्व के आधार पर करते हैं। चुनाव के बाद दल बदलना मतदाताओं द्वारा दिए गए जनादेश के साथ विश्वासघात है।
- **अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा**: बार-बार होने वाला दलबदल विचारधारा एवं जनसेवा की अपेक्षा राजनीतिक अस्तित्व को अधिक महत्त्व देता है, जिससे सिद्धांत-आधारित राजनीति के स्थान पर लेन-देन आधारित राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है।
- **लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का कमजोर होना**: संसदीय लोकतंत्र के लिए एक सशक्त सरकार के साथ-साथ प्रभावी विपक्ष भी आवश्यक है। किंतु बड़े पैमाने पर होने वाला दलबदल विपक्ष की **कार्यपालिका की जवाबदेही** सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करने की क्षमता को कमजोर करता है।

दल-बदल विरोधी कानून

- दल-बदल विरोधी कानून को **वर्ष 1985** में **संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम** के माध्यम से संविधान में **दसवीं अनुसूची** जोड़कर लागू किया गया।
- इसका **मुख्य उद्देश्य** राजनीतिक दल बदलने के आधार पर संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करना था।
- यदि सदन का कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है।
- यदि सदन का कोई मनोनीत सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से **छह माह की अवधि समाप्त होने के बाद** किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो वह भी सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है।
- **संविधान (इक्यानबेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003** द्वारा इस कानून को और अधिक कठोर बनाया गया। इसके अंतर्गत विधानमंडल दल के **कम-से-कम एक-तिहाई** सदस्यों के समूह को प्राप्त अयोग्यता से छूट समाप्त कर दी गई।

- इसके बाद केवल वही विलय (Merger) अयोग्यता से छूट का पात्र माना गया, जिसे संबंधित विधानमंडल दल के **कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन** प्राप्त हो।

मुख्य चिंताएँ

- **दसवीं अनुसूची के अंतर्गत** अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारियों को प्राप्त है—**लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष (Speaker) तथा राज्यसभा एवं विधान परिषदों में सभापति (Chairman)।**
- जहाँ राज्यसभा के सभापति के लिए अपने मूल राजनीतिक दल से त्यागपत्र देना अनिवार्य है, वहीं लोकसभा एवं विधानसभाओं के अध्यक्षों के लिए ऐसा कोई प्रावधान अनिवार्य नहीं है।
- यह व्यवस्था संस्थागत निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। कई मामलों में पीठासीन अधिकारियों ने अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय महीनों, वर्षों अथवा पूरे सदन के कार्यकाल तक लंबित रखा है।

उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- **किहोतो होल्लोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992):** उच्चतम न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा तथा यह निर्णय दिया कि अयोग्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं है और न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन रहेगा।
- **केइशाम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (2020):** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल संबंधी मामलों का निर्णय उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए तथा इसके लिए **तीन माह की अधिकतम समय-सीमा** की अनुशंसा की।

आगे की राह

- **संस्थागत सुधार:** अयोग्यता संबंधी याचिकाओं के निस्तारण हेतु समयबद्ध व्यवस्था स्थापित की जाए तथा निर्णय का अधिकार किसी स्वतंत्र न्यायाधिकरण को सौंपने पर विचार किया जाए।
- **राजनीतिक सुधार**: राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जाए तथा प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं विचारधारा-आधारित बनाया जाए।
- **निर्वाचन सुधार**: चुनाव के बाद होने वाले राजनीतिक पुनर्संरेखण की निगरानी में निर्वाचन आयोग की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया जाए।

स्रोत: TH

भारत और मोल्दोवा के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधारों पर चर्चा

सन्दर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मोल्दोवा की आधिकारिक यात्रा के दौरान **भारत और मोल्दोवा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) सहित बहुपक्षीय संगठनों में सुधारों** पर चर्चा की।

परिचय

- **वर्ष 1992** में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद पूर्वी यूरोप के स्थलरुद्ध (Landlocked) देश मोल्दोवा की यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है।
- दोनों देश **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवाचार, खाद्य प्रसंस्करण, रसद (लॉजिस्टिक्स) तथा कौशल विकास** के क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।
- पूर्वी यूरोप के प्रति भारत की सक्रियता का उद्देश्य फ्रांस और जर्मनी जैसी प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों से आगे बढ़कर **यूरोप के साथ अपने संबंधों में विविधता** लाना है।
- आगामी दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उत्तरी **मैसिडोनिया तथा रोमानिया** की भी यात्रा करेंगी।

मोल्दोवा का परिचय

- मोल्दोवा चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ देश है, जिसकी सीमाएँ **यूक्रेन और रोमानिया** से लगती हैं। **1991 में** सोवियत संघ के विघटन के बाद यह एक **स्वतंत्र गणराज्य** के रूप में उभरा।
- मोल्दोवा **कार्पेथियन पर्वतों** की विशाल चाप(great arc) के पूर्व में स्थित है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है, जो **अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा** बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत** की गई थी। इसमें **15 सदस्य देश** होते हैं, जिनमें वीटो शक्ति

वाले पाँच स्थायी सदस्य—**चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका।**

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **दो वर्ष के कार्यकाल** के लिए निर्वाचित **10 अस्थायी सदस्य** शामिल होते हैं।
- इसका मुख्यालय **न्यूयॉर्क नगर** में स्थित है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधारों की आवश्यकता

- **वर्तमान संरचना**: सुरक्षा परिषद् की वर्तमान संरचना में कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का अपर्याप्त अथवा बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **संघर्षों का समाधान करने में अक्षमता**: वर्तमान संरचना के कारण परिषद् अनेक गंभीर संघर्षों का प्रभावी समाधान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम नहीं रही है।
- **विश्व व्यवस्था में परिवर्तन**: वर्ष 1945 के बाद विश्व व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसलिए इन नई वास्तविकताओं का प्रतिबिंब सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता में भी दिखाई देना चाहिए।
- **वीटो शक्ति**: वर्तमान में केवल पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है। इसके प्रयोग के कारण **यूक्रेन तथा गाज़ा जैसे वैश्विक संकटों** और संघर्षों पर परिषद् की प्रभावी कार्रवाई कई बार बाधित हुई है।
- परिषद् के **शेष 10 सदस्य केवल दो वर्ष के लिए** अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं तथा उन्हें वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती।
- **वैधता**: पाँच स्थायी सदस्यों, विशेषकर उनकी वीटो शक्ति, के पास असंतुलित अधिकार होने से परिषद् की निष्पक्षता और वैधता पर प्रश्न उठते हैं।

स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे को मजबूत करने वाले कारक

- **वैश्विक जनसंख्या एवं प्रतिनिधित्व**: भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तथा विश्व की **लगभग 18% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व** करता है।
- इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् जैसे वैश्विक निर्णयकारी निकायों में भारत का अनुपातिक प्रतिनिधित्व उचित है।
- **आर्थिक महाशक्ति**: भारत सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र) तथा क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है।
- भारत की आर्थिक शक्ति वैश्विक स्थिरता एवं विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है, जो सुरक्षा परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के अनुरूप है।
- **शांति स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता**: भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है, जो वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **सामरिक महत्त्व**: भारत दक्षिण एशिया तथा व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थिति रखता है।
- इसका प्रभाव क्षेत्रीय सीमाओं से आगे तक फैला हुआ है, जिससे **आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा समुद्री सुरक्षा** जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- **लोकतांत्रिक मूल्य**: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत **बहुलवाद, सहिष्णुता तथा समावेशिता के सिद्धांतों का पालन** करता है, जो संयुक्त राष्ट्र की मूल भावना के अनुरूप हैं।
- **सदस्य देशों का समर्थन**: भारत को संयुक्त राष्ट्र के अनेक सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका तथा सुरक्षा परिषद् की क्षमता को सुदृढ़ करने में उसके संभावित योगदान की मान्यता को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार लागू करने की सीमाएँ

- **स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति**: सुरक्षा परिषद् की संरचना या कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए **पाँचों स्थायी सदस्यों की स्वीकृति** आवश्यक होती है।
- इन देशों के हित एक-दूसरे से भिन्न हैं और वे ऐसे परिवर्तनों का समर्थन करने से हिचकिचाते हैं, जिनसे परिषद् में उनका प्रभाव कम हो सकता है।
- **क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण**: क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता तथा भू-राजनीतिक तनाव परिषद् में सुधार के प्रयासों को जटिल बना देते हैं।
- **सुधार प्रक्रिया की जटिलता**: संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए बड़ी संख्या में सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया लंबी एवं जटिल होने के कारण सार्थक सुधारों को लागू करना कठिन हो जाता है।
- **चीन का विरोध**: सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य होने के कारण चीन भारत की स्थायी सदस्यता के प्रयासों में प्रमुख बाधा बना हुआ है।

आगे की राह

- यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद् की **स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता** आज की विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करे, न कि केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों का।

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार** उसकी प्रासंगिकता, वैधता तथा प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, ताकि वह 21वीं शताब्दी की जटिल वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।
- तथापि, इन सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति प्राप्त करना अब भी एक कठिन तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

स्रोत: IE

भारत और स्पेन के बीच यूपीआई–बिज़ुम (Bizum) अंतरसंचालनीयता पर वार्ता तेज़

सन्दर्भ

- भारत और स्पेन ने भारत की **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface–UPI) तथा स्पेन के बिज़ुम (Bizum) डिजिटल भुगतान मंच के बीच अंतरसंचालनीयता** (Interoperability) सक्षम करने के लिए वार्ताओं में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की है

अन्य प्रमुख बिंदु

- दोनों देश राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण होने का स्मरण कर रहे हैं तथा **भारत–स्पेन द्वैध वर्ष : संस्कृति, पर्यटन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता–2026 का उत्सव** मना रहे हैं।
- दोनों देशों ने निवेश सुविधा को सुदृढ़ करने, पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा **लैटिन अमेरिका में संयुक्त निवेश को बढ़ावा** देने के उपायों पर भी चर्चा की।
- दोनों पक्षों ने **ऑटोमोबाइल, औषधि, रसायन, वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन तथा अवसंरचना** के क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं की पहचान की।
- इसी यूरोप यात्रा के दौरान भारत ने **एस्टोनिया के साथ भी वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग तथा यूपीआई के संभावित एकीकरण** पर चर्चा की।
- यूपीआई पहले ही **फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा कतर** सहित कई देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो चुका है।

भारत–स्पेन द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन

राजनयिक संबंध

- भारत और स्पेन के बीच **वर्ष 1956 में राजनयिक संबंध** स्थापित हुए।
- तब से दोनों देशों ने अपने राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए **अनेक उच्च-स्तरीय यात्राएँ एवं वार्ताएँ** की हैं।

आर्थिक संबंध

- स्पेन, यूरोप में भारत का **छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।** वर्ष 2023 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- इसी अवधि में भारत का निर्यात 7.17 अरब अमेरिकी डॉलर तथा आयात 2.74 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- **भारत–स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (JCEC) की स्थापना 1972** के व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौते के अंतर्गत की गई थी और अब तक इसकी **12 बैठकें** आयोजित हो चुकी हैं।
- निवेश: दिसंबर 2023 तक 3.94 अरब अमेरिकी डॉलर के संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ स्पेन **भारत में 16वाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक** है।

रक्षा

- भारत के रक्षा क्षेत्र के विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण में स्पेन एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है।
- एयरबस स्पेन से **56 C295 विमान की खरीद रक्षा विमानन क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' की पहली परियोजना का प्रतिनिधित्व** करती है।

पर्यटन

- दोनों देशों के बीच पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष लगभग **2.5 लाख भारतीय पर्यटक स्पेन की यात्रा** करते हैं, जबकि लगभग **40,000 स्पेनी पर्यटक भारत** आते हैं।

स्पेन–भारत परिषद् फाउंडेशन

- स्पेन–भारत परिषद् फाउंडेशन एक **निजी गैर-लाभकारी संगठन** है, जो स्पेन के विदेश मंत्रालय के समन्वय में तथा **ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF)** के सहयोग से कार्य करता है।
- यह मंच भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

बहुपक्षीय सहयोग

- दोनों देश **संयुक्त राष्ट्र, G20 तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं तथा **जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सतत विकास** जैसी वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटते हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय

- स्पेन में लगभग **75,000 भारतीय मूल के लोग निवास** करते हैं, जिनकी प्रमुख उपस्थिति **कैटालोनिया, वेलेंसिया, मैड्रिड तथा कैनरी** द्वीपसमूह में है।

स्पेन

- स्पेन **आइबेरियन प्रायद्वीप के ज़्यादातर भाग** में फैला हुआ है। यह **उत्तर में पाइरेनीज़ पहाड़ों** से लेकर **दक्षिण में जिब्राल्टर जलडमरूमध्य** तक फैला है, जो **स्पेन को अफ्रीका से अलग** करता है।
- स्पेन की सीमा **पश्चिम में पुर्तगाल से** और **उत्तर-पूर्व में फ्रांस** से लगती है।
- इसके **पूर्व में भूमध्य सागर** है, जिसमें **स्पेन के बैलेरिक द्वीप** भी शामिल हैं।
- स्पेन के **दक्षिणी और पूर्वी तटों पर - उपजाऊ अंडालूसी मैदान** से लेकर **पाइरेनीज़ तक** - अक्सर **'सिरोको' नाम की गर्म हवाएँ** चलती हैं।

आगे की राह

- भारत और स्पेन के बीच विकसित होते आर्थिक एवं राजनयिक संबंध अत्यंत संभावनाशील हैं। दोनों देशों के सहयोग के **प्रमुख क्षेत्र व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना तथा रक्षा** हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना तथा पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी** के क्षेत्र में स्पेन की विशेषज्ञता, भारत के विस्तृत होते बाज़ार की आवश्यकताओं के साथ परस्पर पूरक है।
- **"मेक इन इंडिया" तथा "डिजिटल इंडिया"** जैसी पहलें आगे के सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं तथा **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** को प्रोत्साहित करती हैं।
- दोनों देश अपनी-अपनी परस्पर शक्तियों का प्रभावी उपयोग करते हुए सहयोग को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं। ऐसे में भारत–स्पेन द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देता है तथा दोनों देशों के बीच सहयोग और अधिक गहरा होने की व्यापक संभावनाएँ हैं।

स्रोत: PIB

मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन(WTO) का समझौता

संदर्भ

- हाल ही में भारत ने **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के **मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के लिए अपनी स्वीकृति-पत्र** (Instrument of Acceptance) जमा कर दिया, जिससे वह इस समझौते से जुड़ने वाला **123वाँ सदस्य** बन गया।

विश्व व्यापार संगठन का मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता

परिचय

- इसे **जून 2022** में **जिनेवा में** आयोजित **विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12)** में **सर्वसम्मति** से अपनाया गया था।
- यह **15 सितंबर 2025** को **विश्व व्यापार संगठन के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृति** मिलने के बाद प्रभावी हुआ।
- यह **पर्यावरणीय सततता के उद्देश्य** वाला विश्व व्यापार संगठन का पहला बहुपक्षीय समझौता है।

उद्देश्य

- अवैध, अप्रतिवेदित एवं अनियमित (IUU) मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने वाली सब्सिडियों को समाप्त करना।
- क्षीण हो चुके मत्स्य भंडारों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडियों को हतोत्साहित करना।
- समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग एवं दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- नियम-आधारित वैश्विक मत्स्य शासन व्यवस्था की स्थापना करना।

समझौते का दायरा

- यह समझौता समुद्री प्राकृतिक मत्स्य पालन तथा समुद्र में संचालित मत्स्य संबंधी गतिविधियों को शामिल करता है।
- इसमें **मत्स्य पालन कृषि (Aquaculture)** तथा **अंतर्देशीय मत्स्य पालन** को **शामिल नहीं** किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन के अन्य सब्सिडी संबंधी समझौते

- **सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर समझौता (SCM Agreement)**: यह वस्तुओं के व्यापार को प्रभावित करने वाली सब्सिडियों से संबंधित है। यह निर्यात सब्सिडी तथा आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है और हानि पहुँचाने वाली सब्सिडियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देता है।

- **कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture – AoA):** इसमें घरेलू सहायता, निर्यात सब्सिडी तथा बाज़ार पहुँच शामिल हैं। घरेलू सहायता को व्यापार विकृति के आधार पर एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स तथा ग्रीन बॉक्स में वर्गीकृत किया गया है।
- **सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS):** इसके अंतर्गत सेवाओं पर दी जाने वाली सब्सिडियों के संबंध में अभी कोई व्यापक नियम नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य इस विषय पर नियम विकसित करने हेतु वार्ता जारी रखे हुए हैं।

अंतर

- **SCM समझौता**: औद्योगिक एवं विनिर्मित उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडियों से संबंधित है।
- **कृषि पर समझौता (AoA):** किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी एवं निर्यात सहायता को शामिल करता है।
- **GATS:** सेवाओं पर दी जाने वाली सब्सिडियाँ अभी विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

भारत द्वारा समझौते को स्वीकार करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

लघु एवं पारंपरिक मछुआरों की सुरक्षा

- भारत का मत्स्य क्षेत्र मुख्यतः पारंपरिक एवं लघु मछुआरों पर आधारित है, जबकि अनेक विकसित देशों के पास बड़े पैमाने पर संचालित दूरस्थ समुद्री औद्योगिक मत्स्य बेड़े हैं।
- यह समझौता अधिक न्यायसंगत वैश्विक मत्स्य व्यवस्था स्थापित करता है।
- यह औद्योगिक स्तर के मत्स्य दोहन को बढ़ावा देने वाली हानिकारक सब्सिडियों की समीक्षा करता है तथा समुद्री संसाधनों पर निर्भर आजीविकाओं की सुरक्षा का समर्थन करता है।

सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा

- भारत की स्वीकृति उसकी **ब्लू इकोनॉमी** तथा **सतत विकास लक्ष्य–14 (जल के नीचे जीवन)** के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- यह समझौता उत्तरदायी मत्स्य पालन, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण तथा मत्स्य भंडारों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा

- वैश्विक समुद्री खाद्य बाज़ारों में सतत स्रोतों, अनुरेखणीयता (Traceability) तथा पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन की माँग लगातार बढ़ रही है।
- इस समझौते में भारत की भागीदारी उसे उत्तरदायी समुद्री खाद्य निर्यातक के रूप में अधिक विश्वसनीय बनाएगी, प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच बढ़ाएगी तथा आयातक देशों का विश्वास सुदृढ़ करेगी।
- इस समझौते का भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि भारत का **अधिकांश समुद्री खाद्य निर्यात मत्स्य पालन कृषि (Aquaculture) पर आधारित** है।

भारत में वर्तमान मत्स्य प्रबंधन व्यवस्था

- **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन नियम, 2025:** यह भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन को विनियमित करता है तथा सतत दोहन को बढ़ावा देता है।
- **उच्च समुद्रों में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन हेतु दिशा-निर्देश (2025):** यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले पोतों के संचालन को विनियमित करता है तथा उत्तरदायी मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)**: इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास, सतत मत्स्य पालन, मत्स्य मूल्य श्रृंखला का विकास तथा मछुआरों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
- ये सभी उपाय समुद्री संरक्षण सुनिश्चित करते हैं तथा पारंपरिक एवं लघु मछुआरों के लिए पर्याप्त नीतिगत अवसर बनाए रखते हैं।

भारत के लिए लाभ

आर्थिक

- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक बेहतर पहुँच।
- निर्यात की प्रतिष्ठा में वृद्धि।
- झींगा (प्रॉन) निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना।

पर्यावरणीय

- समुद्री पारितंत्रों पर दबाव में कमी।
- मत्स्य भंडारों का संरक्षण।
- समुद्री शासन व्यवस्था में सुधार।

सामाजिक

- आजीविका की सुरक्षा।
- तटीय समुदायों को समर्थन।
- संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग।

NEXT IAS

सामरिक

- नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना।
- सतत महासागर शासन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को प्रदर्शित करना।

आगे की चुनौतियाँ

- **अवैध, अप्रतिवेदित एवं अनियमित (IUU) मत्स्य पालन की प्रभावी निगरानी।**
- भारत के **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** में निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करना।
- संरक्षण एवं आजीविका के बीच **संतुलन** बनाए रखना।
- समझौते के कार्यान्वयन के दौरान लघु मछुआरों को पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करना।
- विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे के अंतर्गत मत्स्य पालन सब्सिडी से संबंधित शेष लंबित वार्ताओं का समाधान करना।

स्रोत: PIB

छत्तीसगढ़ के नदी संरक्षण उपाय: एक अध्ययन

चर्चा में क्यों?

- **शिवनाथ तथा खारून नदियों** में अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल के प्रवाह, प्रदूषित जल तथा **मछलियों की मृत्यु** पर व्यक्त चिंताओं के बाद **छत्तीसगढ़ सरकार** ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि नदी प्रदूषण रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

नदी संरक्षण

- नदी संरक्षण से तात्पर्य नदियों तथा उनके **पारितंत्रों के नियोजित संरक्षण एवं सतत प्रबंधन से है, ताकि मानव आवश्यकताओं, कृषि, उद्योग तथा जैव विविधता के लिए दीर्घकाल तक मीठे जल की उपलब्धता** सुनिश्चित की जा सके।
- **जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, अवैध अतिक्रमण तथा जल के अत्यधिक दोहन** जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए कठोर एवं **प्रभावी नदी संरक्षण कानूनों की आवश्यकता** है।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख पहलें: एक अध्ययन

- **प्रधानमंत्री गति शक्ति मंच** पर नदी के उद्गम स्थलों का **जियो-टैगिंग एवं डिजिटल मानचित्रण।**
- **प्रत्येक जिले के लिए नदी पुनर्जीवन योजना तैयार करना** तथा नदी प्रवाह, भूजल स्तर एवं जल गुणवत्ता की वैज्ञानिक निगरानी करना।
- **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (IIT Roorkee), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर (NIT Raipur) तथा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (CSVTU Bhilai) द्वारा** सतत नदी पुनर्स्थापन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
- नदी पुनर्जीवन प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए **विशेषज्ञों एवं हितधारकों को एक मंच पर लाने हेतु राज्य स्तरीय स्रोत महोत्सव एवं कार्यशाला** का आयोजन किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को वैज्ञानिक आधार पर संरक्षण कार्य, गाद हटाने (Desiltation), नदी तट संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण उपाय करने तथा पुनर्स्थापन गतिविधियों के **जियो-टैग किए गए साक्ष्य** प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
- **उदाहरण के लिए, हसदेव नदी की पुनर्जीवन** योजना में जलग्रहण क्षेत्र उपचार, गाद हटाना, वृक्षारोपण, भूजल एवं जल गुणवत्ता की निगरानी तथा उद्गम स्थल का पर्यावरण-अनुकूल विकास शामिल है।

नदी संरक्षण हेतु सरकार की अन्य प्रमुख पहलें

नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना

- यह **जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय** की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इसका उद्देश्य नदी बेसिन स्तर पर सतही जल एवं भूजल संसाधनों की समेकित योजना, अध्ययन एवं विकास को बढ़ावा देना है।
- इसका कार्यान्वयन तीन प्रमुख संस्थाओं **ब्रह्मपुत्र बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग (CWC) तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) के** माध्यम से किया जाता है।

नमामि गंगे कार्यक्रम

- यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षण एवं पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक समेकित संरक्षण मिशन एवं प्रमुख (Flagship) कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP)

- यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत गंगा नदी बेसिन को छोड़कर देश की चिन्हित नदी धाराओं में प्रदूषण नियंत्रण हेतु राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को लागत-साझेदारी के आधार पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत देश की नदियों एवं अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

चर्चा में क्यों ?

- भारत, गुजरात के लोथल में **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) की स्थापना** कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के **4,500 वर्ष पुराने समुद्री इतिहास** तथा सिंधु घाटी सभ्यता (**Indus Valley Civilisation**) की विरासत का प्रदर्शन करना है।

लोथल

- लोथल लगभग **2400 ईसा पूर्व** में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था।
- गुजराती भाषा में **"लोथल" का अर्थ "मृतकों का टीला" है।**
- इस स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा **1955 से 1960 के मध्य** किया गया, जिसमें एक अत्यंत विकसित नगरीय बस्ती एवं व्यापारिक केंद्र के प्रमाण प्राप्त हुए।
- पुरातत्वविदों का मानना है कि लोथल एक प्रमुख नदी तंत्र के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित था, जो **सिंध से गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा** था।
- यहाँ की सबसे महत्त्वपूर्ण खोज विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात मानव-निर्मित गोदी (Dockyard) है। इसके अतिरिक्त **यहाँ दुर्ग क्षेत्र (Acropolis), निचला नगर, मनका निर्माण कारखाना, गोदाम, बाज़ार तथा उन्नत जल निकासी प्रणाली के अवशेष** भी प्राप्त हुए हैं।
- हड़प्पावासियों की **अभियांत्रिकी दक्षता का परिचय नगर की सुव्यवस्थित नहरों तथा गोदी सुविधाओं** से मिलता है।
- लोथल प्राचीन **विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों** में से एक था।
- पुरातात्त्विक साक्ष्य बताते हैं कि लोथल के **मेसोपोटामिया, मिस्र तथा फारस जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के साथ भी व्यापारिक संबंध** थे।

यूनेस्को नामांकन

- वर्ष 2014 में लोथल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया था और इसका आवेदन वर्तमान में यूनेस्को की अस्थायी सूची (Tentative List) में लंबित है।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)

- यह 4,000 करोड़ रुपये की परियोजना है, जिसे **वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति** प्रदान की गई।
- यह अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- इस परिसर में हड़प्पाकालीन सड़कों, बाज़ारों, गोदियों तथा नागरिक संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे आगंतुक पारंपरिक संग्रहालय प्रदर्शन से आगे बढ़कर प्राचीन नगरीय जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।
- संग्रहालय का अभिकल्प हड़प्पा स्थापत्य शैली पर आधारित है, जिसमें **बाढ़-प्रतिरोधी ऊँची संरचनाएँ तथा जहाज़ जैसी आकृतियाँ शामिल** की गई हैं।
- इस परियोजना का उद्देश्य भारत की प्राचीन समुद्री क्षमता तथा हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी उन्नति को प्रदर्शित करते हुए इसे वैश्विक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक गंतव्य के रूप में विकसित करना है।

स्रोत :IE

बलूचिस्तान

सन्दर्भ

- हाल ही में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों की हत्या करने वाले हमलों के बाद **ऑपरेशन शाबान** प्रारंभ किया, जिससे लंबे समय से जारी बलूच विद्रोह पुनः चर्चा में आ गया है।

संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कलात का पाकिस्तान में विलय

- कलात, ब्रिटिश भारत के समय वर्तमान बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रियासती राज्य था। भारत के विभाजन के समय कलात ने प्रारंभ में स्वतंत्र रहने का प्रयास किया।
- राजनीतिक एवं सैन्य दबाव के बीच **वर्ष 1948** में कलात के ख़ान ने पाकिस्तान के साथ विलय स्वीकार कर लिया।
- बलूच राष्ट्रवादी इस विलय को दबाव में कराया गया मानते हैं, जबकि पाकिस्तान इसे वैध एवं अंतिम मानता है।

सुई गैस से जुड़ी असंतोष की भावना

- स्थानीय लोगों में यह धारणा बनी कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय समुदायों की अपेक्षा केंद्र सरकार को अधिक प्राप्त हुआ, जिससे असंतोष बढ़ा।

बलूचिस्तान का परिचय

- बलूचिस्तान, **क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत** है तथा यह देश के कुल भू-भाग का **लगभग 44% भाग** घेरता है।
- **राजधानी**: क्वेटा
- **सीमाएँ**: इसके पश्चिम में ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान तथा दक्षिण में अरब सागर स्थित है।
- **प्राकृतिक संसाधन**: यह प्राकृतिक गैस, ताँबा, सोना, कोयला तथा अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है।
- **रेको डिक (Reko Diq):** विश्व के सबसे बड़े अविकसित ताँबा–सोना भंडारों में से एक।
- **सैंदक (Saindak):** चीनी भागीदारी के साथ संचालित एक प्रमुख ताँबा–सोना खनन परियोजना।
- **महत्त्व**: बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का एक प्रमुख केंद्र है।

स्रोत: IE

ओलिम्पस पर्वत

चर्चा में क्यों?

- ओलिम्पस पर्वत, जिसे ज़्यूस तथा प्राचीन यूनानी देवताओं का पौराणिक निवास स्थान माना जाता है, को **यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने पर विचार** किया जा रहा है। ग्रीस अपने सबसे ऊँचे पर्वत के संरक्षण के लिए यह प्रयास कर रहा है।
- **वर्ष 2014** में प्रारंभ किया गया इसका नामांकन वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा मूल्यांकनाधीन है।

ओलिम्पस पर्वत

स्थिति

- ओलिम्पस पर्वत (2,918 मीटर) ग्रीस का सबसे ऊँचा पर्वत है, जो मेसिडोनिया और थेसाली के बीच स्थित है।
- यह अपने विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु (Microclimate), असाधारण जैव विविधता तथा मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।

पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व

- प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं में इसे ज़्यूस तथा बारह ओलिम्पियन देवताओं का निवास स्थान माना जाता था।
- होमर तथा हेसियड ने इसका वर्णन उस दिव्य स्थान के रूप में किया है, जहाँ ज़्यूस ने टाइटनों को पराजित किया और देवताओं तथा मनुष्यों पर शासन किया।
- **एगियोस एंटोनियोस शिखर पर स्थित ओलिम्पियन ज़्यूस का मंदिर तथा आसपास प्राप्त प्राचीन बस्तियों के पुरातात्त्विक अवशेष** इसके दीर्घकालीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व की पुष्टि करते हैं।
- ओलिम्पस का ईसाई धार्मिक महत्त्व भी है। यहाँ **16वीं शताब्दी का पैगंबर एलियास का प्रार्थना-गृह**, जो **सबसे ऊँचा ऑर्थोडॉक्स प्रार्थना-गृह** माना जाता है, तथा **होसियोस डायोनिसियोस का प्राचीन मठ** स्थित है।

प्राकृतिक विरासत

- वर्ष 1938 में इसे **ग्रीस का पहला राष्ट्रीय वन** घोषित किया गया था।
- यह अपने **समृद्ध पारितंत्रों** के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ **चार विशिष्ट वनस्पति क्षेत्र** पाए जाते हैं, जो **भूमध्यसागरीय वनों** से लेकर बाल्कन क्षेत्र की सर्वोच्च वृक्ष-रेखा के ऊपर स्थित **अल्पाइन घासभूमियों** तक विस्तृत हैं। यहाँ अनेक **दुर्लभ एवं स्थानिक (Endemic) पादप प्रजातियाँ** भी पाई जाती हैं।

स्रोत: TOI

ऑपरेशन वज्र

सन्दर्भ

- **केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN)** ने **ऑपरेशन वज्र** के अंतर्गत उच्च **शक्ति वाली ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड (250 मि.ग्रा.) गोलियों** की अवैध तस्करी को रोकने में सफलता प्राप्त की।

यह जब्ती विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- **ट्रामाडोल** एक **कृत्रिम ओपिऑयड दर्दनाशक दवा** है, जिसे लोकप्रिय रूप से **"फाइटर ड्रग"** कहा जाता है। बताया जाता है कि आईएसआईएस (ISIS) के **आतंकवादियों** सहित कई लड़ाकों द्वारा **दर्द एवं थकान को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग** किया गया है।
- यद्यपि **ट्रामाडोल के वैध चिकित्सीय उपयोग** हैं, किंतु इसका अवैध उपयोग एवं अवैध तस्करी नशे की लत को बढ़ावा दे सकती है तथा **जनस्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा** उत्पन्न कर सकती है।
- **वर्ष 2018** में भारत ने ट्रामाडोल को **स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) के अंतर्गत** शामिल कर दिया। इसके बाद **केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की अनुमति के बिना इसका उत्पादन एवं बिक्री अवैध** हो गया।

NEXT IAS

- यह जब्ती एशिया में मादक पदार्थों की तस्करी की व्यापक चुनौती को भी रेखांकित करती है, क्योंकि यहाँ **दो प्रमुख अवैध मादक पदार्थ उत्पादन क्षेत्र स्थित** हैं—
  - गोल्डन क्रेसेंट (Golden Crescent)
  - गोल्डन ट्रायंगल (Golden Triangle)

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN)

- **प्रशासनिक मंत्रालय**: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।
- **मुख्यालय**: ग्वालियर, मध्य प्रदेश (वर्ष 1960 में **शिमला से स्थानांतरित** किया गया)।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रमुख दायित्व

- भारत में अफीम पोस्ता (Opium Poppy) की वैध खेती का पर्यवेक्षण।
- **स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act)** के अंतर्गत मामलों की जाँच करना तथा न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करना।
- अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाना एवं उन्हें जब्त (Freeze) करने की कार्रवाई करना।
- कृत्रिम मादक औषधियों के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करना।
- स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के निर्यात हेतु प्राधिकरण तथा आयात प्रमाण-पत्र जारी करना।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ

भारत निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है—

- स्वापक औषधियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1961
- मन:प्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1971
- स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988
- इन अभिसमयों के अनुसार सदस्य देशों का दायित्व है कि वे संयुक्त राष्ट्र की मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करें।

स्रोत: PIB

नमस्ते योजना

सन्दर्भ

- नमस्ते योजना के अंतर्गत अब तक 89,915 सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों तथा 2,81,117 अपशिष्ट संग्राहकों (Waste Pickers) का सत्यापन किया जा चुका है।

परिचय

- **राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारितंत्र कार्ययोजना (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem – NAMASTE)** स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक प्रमुख सरकारी पहल है।
- इस योजना का **उद्देश्य** सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण हाथ से सफाई को समाप्त करना तथा यंत्रीकृत सफाई व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- इसका संयुक्त रूप से कार्यान्वयन **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा** किया जाता है।
- **स्वच्छता कर्मियों को प्रदान किए जाने वाले प्रमुख लाभ:**
  - व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) उपलब्ध कराना।
  - स्वास्थ्य बीमा तथा आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करना।
  - व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
  - कौशल विकास के अवसर प्रदान करना।
  - स्व-रोज़गार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
  - आधुनिक यंत्रीकृत स्वच्छता उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

योजना के उद्देश्य

- स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु (Zero Fatalities) सुनिश्चित करना।
- जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के साथ प्रत्यक्ष मानवीय संपर्क को पूर्णतः समाप्त करना।
- कुशल स्वच्छता कार्यबल का निर्माण करना।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा अन्य आजीविका के अवसरों के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना।

स्रोत: PIB

चुंबकीय उत्तोलन (Magnetic Levitation)

चर्चा में क्यों?

- जापान ने अपनी पहली **500 किलोमीटर लंबी सुपरकन्डक्टिंग मैग्लेव** (SCMAGLEV) **रेल परियोजना** को स्वीकृति प्रदान की है, जो टोक्यो को ओसाका से नागानो, नागोया तथा क्योटो के माध्यम से जोड़ेगी।

NEXT IAS

मैग्लेव (Magnetic Levitation)

- मैग्लेव (Magnetic Levitation) का अर्थ है स्थायी चुंबकों अथवा विद्युत्-चुंबकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से किसी वाहन को बिना किसी यांत्रिक सहारे के ऊपर उठाना।
- मैग्लेव रेलगाड़ियाँ पहियों के स्थान पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके रेलगाड़ी को ऊपर उठाती एवं आगे बढ़ाती हैं। इससे **घूर्णन घर्षण (Rolling Friction) समाप्त** हो जाता है और **400 किमी/घंटा से अधिक की गति** पर भी अत्यंत सुगम यात्रा संभव होती है।

प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ

- **विद्युत्-चुंबकीय निलंबन (Electromagnetic Suspension – EMS)**
- इस प्रणाली में रेलगाड़ी पर लगे विद्युत्-चुंबक उसे पथ (Guideway) की ओर आकर्षित करते हैं तथा संवेदकों (Sensors) की सहायता से लगभग 10 मि.मी. ऊपर स्थिर बनाए रखते हैं।
- **विद्युत्-गतिकीय निलंबन (Electrodynamic Suspension – EDS)**
- इस प्रणाली में अतिचालक चुंबक पथ में लगी कुंडलियों (Coils) में विद्युत् धारा प्रेरित करते हैं, जिससे प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है।
- लगभग 100 किमी/घंटा की गति प्राप्त होने के बाद यह प्रणाली रेलगाड़ी को पथ से लगभग 100 मि.मी. ऊपर तैरते हुए चलने में सक्षम बनाती है।

रेलगाड़ी आगे कैसे बढ़ती है?

- रेलगाड़ी की गति रैखिक मोटरों (Linear Motors) के माध्यम से प्राप्त होती है, जिनमें पथ पर लगी कुंडलियों में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा (AC) एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो रेलगाड़ी को आगे की ओर खींचती तथा पीछे से धक्का देती है।
- सुरक्षित गति कम करने तथा आपातकालीन स्थिति में रोकने के लिए पुनर्योजी ब्रेक (Regenerative Braking) तथा घर्षण ब्रेक का उपयोग किया जाता है।

मैग्लेव (चुंबकीय उत्तोलन) के लाभ

- 400–600 किमी/घंटा तक की अत्यधिक उच्च गति।
- अत्यंत सुगम एवं शांत यात्रा।
- घूर्णन घर्षण का अभाव, जिससे घिसावट एवं रखरखाव की आवश्यकता कम होती है।
- प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में भी उच्च विश्वसनीयता।

अन्य अनुप्रयोग

- चुंबकीय उत्तोलन प्रौद्योगिकी का उपयोग **केवल उच्च गति वाली रेलगाड़ियों तक सीमित नहीं** है।

इसका उपयोग चुंबकीय बेयरिंग में **टरबाइन एवं संपीडक (Compressor) के शाफ्ट को निलंबित** रखने के लिए किया जाता है, जिससे **घर्षण कम** होता है और अधिक गति से घूर्णन संभव होता है।

- इसी रैखिक मोटर प्रौद्योगिकी का उपयोग विमानवाहक पोतों के रनवे से विमानों को प्रक्षेपित करने में भी किया जाता है।
- उद्योगों में मैग्लेव प्रणालियाँ अर्धचालक निर्माण, पैकेजिंग, सीएनसी मशीनिंग, लेज़र/एक्स-किरण निरीक्षण तथा डीएनए अनुक्रमण जैसे कार्यों में तीव्र एवं सटीक गति प्रदान करती हैं।
- वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जैविक नमूनों, द्रवों, पिघली हुई धातुओं तथा छोटे जीवों को भी चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से उत्तोलित किया जाता है।
- **वर्ष 1997** में भौतिक वैज्ञानिक **आंद्रे गीम और माइकल बेरी** ने 10 टेस्ला क्षमता वाले शक्तिशाली चुंबक की सहायता से प्रतिचुंबकत्व (Diamagnetism) का उपयोग करते हुए एक मेंढक को चुंबकीय रूप से उत्तोलित किया था।
- **वर्ष 2000** में इस अनूठे प्रयोग के लिए उन्हें इग नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बाद में आंद्रे गीम ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक बने जिन्हें **इग नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार** दोनों प्राप्त हुए।

सीमाएँ

- इसके लिए विशेष रूप से निर्मित पटरियों एवं स्टेशनों की आवश्यकता होती है; मौजूदा रेल अवसंरचना का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- निर्माण एवं रखरखाव की लागत अत्यधिक अधिक होती है।
- आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होने के लिए उच्च यात्री संख्या आवश्यक है।
- 300 किमी/घंटा से अधिक गति पर वायुगतिकीय प्रतिरोध (Aerodynamic Drag) एक बड़ी चुनौती बन जाता है, जिसके लिए अत्याधुनिक सुव्यवस्थित (Streamlined) डिजाइन की आवश्यकता होती है।

स्रोत: TH

■■■■